छुटकी और सूचना का अधिकार

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक : समर्थन-सेंटर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट, भोपाल

प्रकाशन वर्ष : 2008

प्रथम संस्करण : 3000 प्रतियाँ

उचित स्वीकृति से सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

चित्रांकन एवं मुद्रण : एम.एस.पी. ऑफसेट, भोपाल

छुटकी - समर्थन की परिकल्पना है।

यह प्रकाशन फोर्ड फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया है।

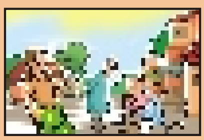

यह छुटकी है..
इसके छोटे से कस्बे का नाम
किसनगढ़ है...छुटकी बहुत होशियार और
चतुर है वह अपनी कक्षा में अव्वल आती
है और उसे आसपास की कई
जानकारियां हैं, कि कौन सा काम कैसे
किया जाता है..आज छुटकी हमें सूचना के
अधिकार के बारे में बताएगी..इसके तहत
आम आदमी किसी भी सरकारी विभाग
से जानकारी मांग सकता है
बाकी आगे देखें....

देश की बड़ी अदालत मानती है कि सूचना का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है

जो सूचनायें नहीं दी जा सकतीं वे धारा 8 में दी हैं। इनको छोड़कर सभी सूचना ले सकते हैं

सभी सरकारी कार्यालयों को जानकारी देना जरूरी है

आवेदन सादे कागज पर भी दे सकते हैं

सभी सरकारी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामांकित किये गये हैं

सूचना कोई क्यों मांग रहा है यह बताना जरूरी नहीं

सूचना का अनुरोध नामंजूर करने का कारण बताना होगा। 7 (8)

आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें, अपील करते समय साथ में लगाने के काम आयेगी

जो लोग आवेदन नहीं लिख सकते, लोक सूचना अधिकारी उनकी मदद करें

सूचना नष्ट करने या सूचना प्राप्त करने में बाधा डालने पर भी दण्ड हो सकता है

राज्य सूचना अधिकारी दस्तावेजों के निरीक्षण में समुचित सहायता करें। 7 (4)

यदि समय सीमा में सूचना नहीं दे पाता तो सूचना चाहने वाले को बिना फीस लिए सूचना करना होगा। 7 (6)

यदि अधिकारी सूचना नहीं देते तो उन्हें सूचना का अनुरोध नामंजूर करने का कारण बताना होगा। 7 (8)

शासकीय गुप्त बात अधिनियम 923 के होते हुए भी सूचना दी जा सकेगी। 8 (2)

सूचना आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं

मुरैना जिले के काजी बसई ग्राम पंचायत ने सूचना के अधिकार को लागू करने के लिये प्रस्ताव पारित किया

ग्राम पंचायत के कोई भी दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, बिल, वाउचर, मस्टर रोल आदि कोई भी देख सकता है या फोटो कॉपी ले सकता है

लो तहसील कार्यालय आ गए...
चंदन जरा देख कर बता अंदर सूचना
अधिकारी बैठे हैं क्या...?
हाँ काका..अंदर
सभी बैठे हैं...
तहसील
कार्यालय
चलो पहले शुल्क जमा
कर दें फिर जानकारी लें...
जाईए..जाईए....
साहब अंदर बैठे हैं..

बड़ी जल्दी आ गए आप लोग, कल ही तो पत्र भेजा था... लगता है आप लोग दुनिया बदलने निकल पड़े हो ...देखो धोती कुर्ते वाले भी जागरूक हो गए हैं, जल्दी शुल्क लेकर इन्हें जानकारी दो भाई... जाओ जानकारी ले लो..
वह अधिकारी हमसे कितना गलत व्यवहार कर रहा था ..
हां काका बड़ा ही बेहूदा था..मेरा तो मन कर रहा था कि करारा सा जवाब दे दूं..कि धोती पहनने वाले क्या जानकारी नहीं मांग सकते?
हां रहमान भाई.. गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था
देखो तो भला जिस जनता के पैसों से सरकार चलती है उन्हीं से ऐसा व्यवहार...

यदि सूचना किसी व्यक्ति की जान या उसकी आजादी से संबंधित है तो ऐसी जानकारी 48 घंटे में देना जरूरी है

आवेदन सादे कागज पर भी दे सकते हैं

आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें। अपील करते समय साथ में लगाने के लिये

समय सीमा में जानकारी न देने पर गलत, अधूरी, गुमराह करने वालों को 250.00 रु. प्रतिदिन और अधिकतम 2500.00 रु. तक दण्ड हो सकता है

तीन दिन गुजर जाने के बाद चौपाल पर चर्चा करते लोग ...
बिटिया, अपीलीय अधिकारी की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया,अब क्या करेंगे हम.....
काका...इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है अब हम कल ही दूसरी अपील सूचना आयोग कार्यालय में लगायेंगे।
इतना आसान नहीं है जानकारी मिलना। इसमें तो बहुत समय खराब हो रहा है।
देखिये,अधिकारी इतनी ही आसानी से जानकारी देते,तो यह कानून लाने की जरूरत ही क्या थी इसलिये मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और कल ही दूसरी अपील करूंगी।
हां मुखी सही कह रही है। हम कल ही दूसरी अपील करेंगे।

दूसरे दिन छुटकी ने सबके बीच बैठकर दूसरी अपील तैयार की और शुल्क के रूप में दस रुपये का नान जूडिशियल स्टाम्प लगाकर राज्य सूचना आयोग के कमिश्नर को डाक से अपील भेज दी।
कुछ दिनों बाद...
लो ..छुटकी तुम्हारा पत्र, राज्य सूचना आयोग के कमिश्नर के यहां से आया है...
बिटिया जल्दी से पढ़कर तो सुना क्या लिखा है।
कमिश्नर साहब ने कहा है दोनों अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं देने पर पांच हजार का जुर्माना किया है और लिखा है कि आपको पांच दिनों में चाही गई जानकारी मिल जायेगी।
इतना सुनकर काका की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने छुटकी को गले लगा लिया...

जो सूचनायें नहीं दी जा सकतीं वे धारा 8 में दी हैं। इनको छोड़कर सभी सूचना ले सकते हैं

हां जानकारी देने में हमसे गलती हो गई थी लोगों के जो के मुआवजे स्वीकृत नहीं हुये थे वह मुआवजे इसी सप्ताह स्वीकृत हो जायेंगे और लच्छी काकी की जमीन का बंटवारा भी कर दिया जायेगा, उसके लिये ऑर्डर कर दिये गये हैं जिसकी कॉपी मैं साथ ही लेकर आया हूं।
ऐसा न हो कि वे आपकी घोषणा ही रह जाये। अब हम धोती-कुर्ता वाले भी जान गये हैं कानून की बात..
नहीं, पुरानी बातें भूल जाओ काका, सभी के मुआवजे इसी सप्ताह में मिल जायेंगे।
इतना सुन कर काका, रहमान चाचा और गांव के सभी लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा और सभी ने गुड्डी को हाथों में उठा लिया और एक साथ कहा, बेटी हो तो ऐसी। इस तरह गुड्डी ने किसनगढ़ के सभी लोगों को सूचना के अधिकार की ताकत का ज्ञान कराया और कानून की ताकत दिखाकर कमाल कर दिया.....

समर्थन

हमारे बारे में......

समर्थन एक स्वैच्छिक व गैर सरकारी संगठन है जो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक प्रयासों के लिए सहयोगी संस्था के रूप में कार्यरत है। यह संगठन प्रशिक्षण, सूचनाओं तथा जानकारियों का आदान प्रदान, शोध एवं विचार विमर्श के माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाओं, समुदाय व सरकार के बीच समन्वय स्थापित करता है।

वर्तमान में समर्थन स्थानीय स्तर पर स्वशासन एवं पंचायती राज व ग्राम स्वराज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने तथा सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य है कि जागरूक ग्राम सभाएं सक्रिय पंचायतों का गठन करें, जो अपने क्षेत्र के विकास में नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

इसी संदर्भ में संस्था ने एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसमें 'सूचना के अधिकार' के क्रियान्वयन को लेकर एक सरल रूप में 'कॉमिक्स' का निर्माण किया है, जिसमें 'सूचना के अधिकार' जैसे कठिन विषय को सभी के लिये रोचक ढंग से समझाने का प्रयास किया है ?

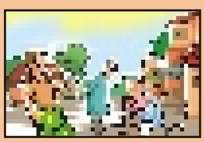
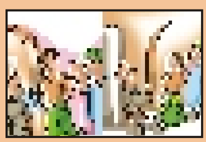

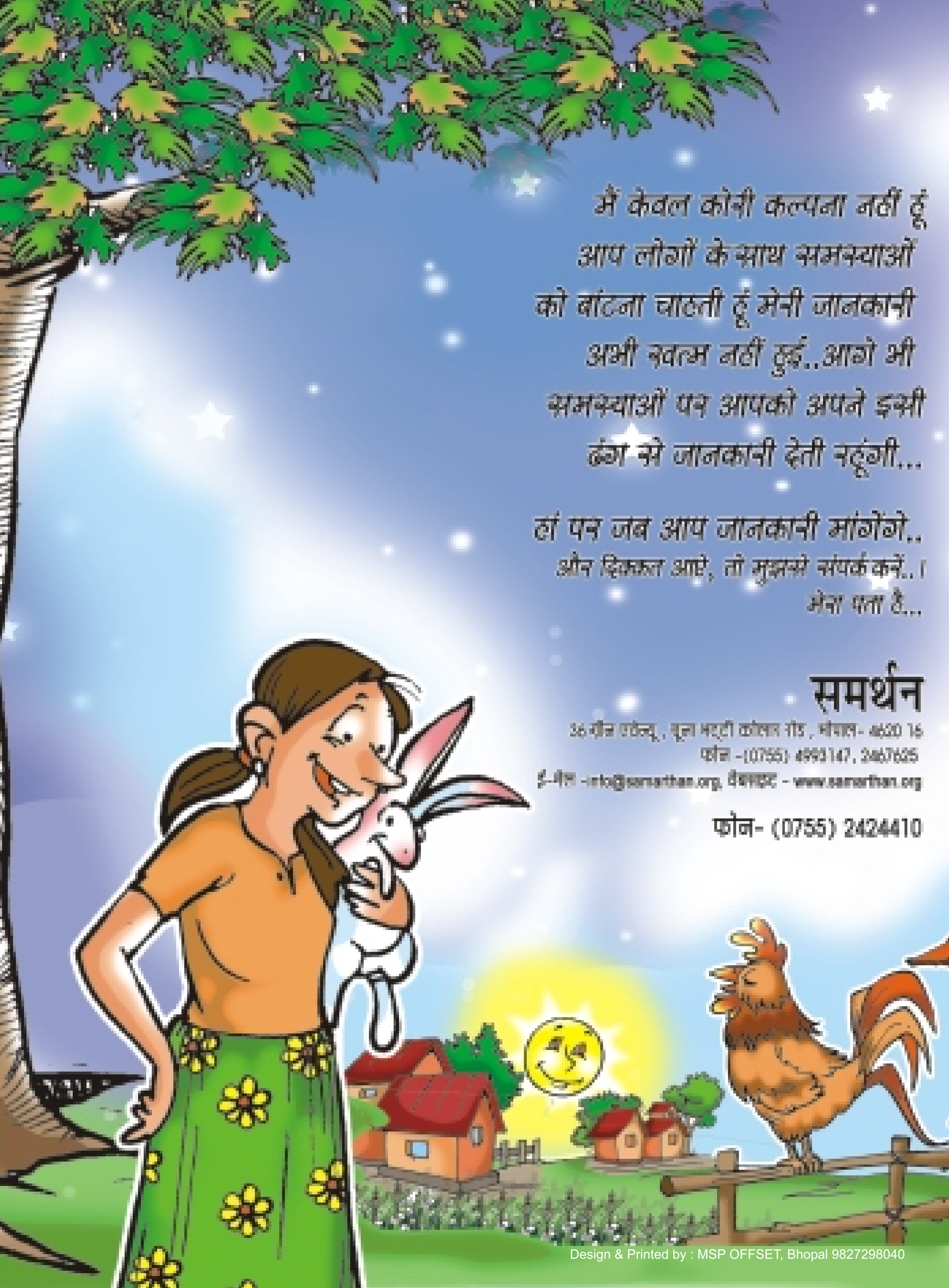
मैं केवल कोरी कल्पना नहीं हूं
आप लोगों के साथ समस्याओं
को बांटना चाहती हूं मेरी जानकारी
अभी खत्म नहीं हुई..आगे भी
समस्याओं पर आपको अपने इसी
ढंग से जानकारी देती रहूंगी...
हां पर जब आप जानकारी मांगेंगे..
और दिक्कत आऐ, तो मुझसे संपर्क करें..।
मेरा पता है...
समर्थन
36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल- 4620 16
फोन -(0755) 4993147, 2467625
ई-मेल -info@samarthan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org
फोन- (0755) 2424410
Design & Printed by : MSP OFFSET, Bhopal 9827298040